

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 23/2024-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल, 2024

सा.का.नि.(अ). - वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमाशुल्क, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023, जिसे सा.का.नि. 884(अ), दिनांक 07 दिसम्बर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप खंड (II) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (4) में, शब्द और अक्षर " 30 अप्रैल, 2024" के स्थान पर, शब्द और अक्षर "30 जून, 2024" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/241/2023-टीओ(टीआरयू-1)]

(विक्रम विजय वानरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमाशुल्क, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023, को सा.का.नि. 884(अ), दिनांक 07 दिसम्बर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप खंड (II) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 21 फरवरी, 2024, जिसे सा.का.नि. 121 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप खंड (II) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।